UPAG010061532026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01906

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 2620/2026

रामनरेश पुत्र स्व0 श्री गजराज सिंह निवासी– नगला अवाजी थानूमई थाना जसराना जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 52 वर्ष

..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 600/2025
धारा–103(1),238ए,61(2)
भारतीय न्याय संहिता
थाना: मलपुरा, जिला आगरा

दिनांक: 18.06.2026

पुलिस थाना मलपुरा, जिला आगरा के प्रकरण में मुकदमा अपराध सं0 मु0अ0सं0 600/2025 धारा 103(1),238ए,61(2) भारतीय न्याय संहिता में वांछित अभियुक्त रामनरेश की ओर से धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन द्वितीय अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2026 को बल न दिये जाने के आधार पर निरस्त किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 2489/2026 रामनरेश बनाम उ00प्र0 राज्य प्राथमिकी के निरस्तीकरण हेतु योजित की गयी थी, जो दिनांक 25.02.2026 को बल न दिये जाने के आधार पर वापस ले ली गयी। अभियुक्त का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। अभियुक्त एवं वादी एक ही परिवार के हैं तथा दोनों के मध्य पूर्व से ही संपत्ति को लेकर वाद लम्बित हैं। संपत्ति के

विवाद के कारण वादी अभियुक्त व उसके परिजनों से रंजिश मानता है, इसी कारण यह झूठा अभियोग दर्ज कराया गया है। अभियुक्त को पुलिस से गिरफ्तारी की आशंका है, अतएव अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अनुराग द्वारा थाना मलपुरा, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसकी मित्रता अपने गांव की लड़की कुमारी अंशु यादव से बचपन से चली आ रही है, वे दोनों एक दूसरे को चाहते थे तथा एक दूसरे से प्यार करते थे एवं शादी करना चाहते थे। इस बात से अंशु यादव के परिवारीजन सहमत नहीं थे। अंशू यादव के पिता रनवीर सिंह यादव वर्तमान समय में अपने परिवार सहित विनायक गार्डन, मलपुरा में रहते हैं। दिनांक 24.10.2025 को अंशू यादव ने उसे एक 29 सैकिण्ड का वीडियो बनाकर उसके मोबाइल पर भेजा, जिसमें वह कह रही है कि उसके प्यार को उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, उनके माता पिता सुधा व रनवीर सिंह, बड़ा भाई गौरव व छोटी बहन अनीता, गांव का रामनरेश, फूफा मुरारी, पत्नी बीना उसे मारना चाहते हैं। उसने अंशू यदव से संपर्क करना चाहा,परन्तु उसके बाद से उसका अंशू यादव से संपर्क नहीं हो पाया, जिस पर उसने माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त लोगों के विरूद्ध हैवियस कॉरपस याचिका वकील के माध्यम से दायर की। उसे जानकारी हुई है कि अंशू यादव की हत्या उसके पिता रनवीर सिंह और मां सुधा ने मिलकर अपने विनायक गार्डन वाले घर में दिनांक 25.10.2025 को करके उसकी लाश को अपनी कार की डिग्गी में डालकर अपने ससुराल ग्राम पीपरीपुरा थाना जसवंतनगर इटावा लेकर गये, वहां अपने साले के लड़के सतीश,उनकी पत्नी किरन देवी के साथ मिलकर अपनी कार से अंशू यादव की लाश को छिपाने के उद्देश्य से सतीश व उसकी पत्नी किरन के कहने पर इटावा से आगे भिण्ड बाईपास ग्राम सुनवारा यमुना पुल पर लेकर अंशू यादव ककी लाश को यमुना पुल के पानी में फेंक दिया गया।

वादी की तहरीर पर थाना मलपुरा आगरा पर मु0अ0सं0 622/2025 अन्तर्गत धारा 103(1),238ए,61(2) ए भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), आगरा द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि

आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ षडयंत्र कर मृतका अंशू यादव की हत्या कर, साक्ष्य विलोपन के आशय से उसके शव को जनपद इटावा में यमुना नदी में फेंक दिया गया। मृतका द्वारा मृत्युपूर्व बनाये गये वीडियों में आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा उसकी हत्या किये जाने की आशंका व्यक्त की गयी है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण श्रीमती बीना, मुरारीलाल गौरव एवं सतीश की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतएव अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के तर्क सुने तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ षडयंत्र कर मृतका अंशू यादव की हत्या कारित किया जाना एवं साक्ष्य विलोपन के आशय से उसके शव को अन्यत्र फेंक दिया जाना आक्षेपित है।

वादी अनुराग यादव द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया है।

गवाह दीपक द्वारा भी विवेचक को दिये गये बयान में वादी के बयान का समर्थन किया गया है।

केस डायरी के पर्चा संख्या–01 पर विवेचक द्वारा मृतका अंशू यादव के वीडियो फुटेज को उद्धरित किया गया है जिसके अनुसार मृतका द्वारा कहा गया है कि *'' वह अनुराग से प्यार करती है, उसके घरवाले मान नहीं रहे हैं, वह शादी करना चाहती है। उसे मारना चाहते हैं, उसमें उसका बड़ा भाई गौरव, उसके मम्मी पापा, छोटी बहन,* ***गांव का रामनरेश*** *हैं, ये मिले हुए हैं। ये कहते हैं पहले लड़की को मत मारो, लड़के को मारो, इसलिए नहीं तो वह जेल करा देगा, उसके बुआ फूफा भी शामिल हैं। उनके नाम मुरारीलाल व बीना हैं। ये लोग उसे मारना चाहते हैं। वह अनुराग से शादी करना चाहती है।''*

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार विवेचना के दौरान मृतका के शव के अवशेष तथा उसके कपड़े, कुर्ती, पैण्ट, दुपट्टा आदि ग्राम सुनवारा यमुना पुल इटावा भिण्ड बाईपास यमुना नदी के पास से बरामद किया गया, जिनके डी0एन0

परीक्षण हेतु विवेचक द्वारा कार्यवाही की गयी है।

इसके अतिरिक्त केस डायरी के पर्चा संख्या–19 में विवेचक द्वारा नामित सह अभियुक्तगण रनवीर, सुधा यादव, अनीता यादव, सतीश, किरन यादव तथा गौरव यादव के मोबाइल की सी0डी0आर0 संकलित की गयी है, जिनके अनुसार अभियुक्तगण की लोकेशन घटनास्थल विनायक गार्डन तथा मृतका का शव फेंके जाने के स्थान यमुना नदी के पास होना पाया जा रहा है।

इसी स्तर पर यह उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त रामनरेश द्वारा प्रकरण की प्राथमिकी निरस्त कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 2489/2026 रामनरेश बनाम उ0प्र0 राज्य एवं तीन अन्य योजित की गयी, जो अभियुक्त की ओर से बल न दिये जाने एवं उक्त याचिका को प्रत्याहरित किये जाने की प्रार्थना पर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 25.02.2026 के माध्यम से निरस्त की जा चुकी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वादी एवं अभियुक्त के मध्य पूर्व से ही भूमि के संबंध में विवाद होने एवं उसके संबंध में न्यायालय में अभियोग प्रचलित होने के कारण, वादी द्वारा जानबूझकर अभियुक्त को इस प्रकरण में संलिप्त किया गया है। तत्सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मृतका अंशू द्वारा मृत्यु से पूर्व बनाये गये वीडियो में उसके परिवारीजन के अतिरिक्त अभियुक्त रामनरेश द्वारा भी उसे मारने की आशंका व्यक्त की गयी है, जिसके आधार पर अभियुक्त को इस प्रकरण में संलिप्त किया जाना कहा गया है। प्रकरण में सह अभियुक्त रनवीर सिंह के विरूद्ध विवेचना के उपरान्त, आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व वादी को प्रेषित वीडियो में अभियुक्त को भी कथित घटना के षडयंत्र में सम्मिलित होना कहा गया है। आरोपित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। तदैव इस स्तर तक उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर यह समाधान करने का पर्याप्त आधार नहीं है कि आवेदक/अभियुक्त को मिथ्या संलिप्त किया गया हो अथवा उसके द्वारा कोई अपराध न किया गया हो।

तदैव मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त रामनरेश को अग्रिम जमानत प्रदान

किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं हैं एवं अभियुक्त रामनरेश का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रामनरेश का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की प्रति सूचनार्थ सम्बन्धित विवेचक/थाना प्रभारी को प्रेषित की जाये।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,आगरा
18.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.18 13:12:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court